HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15056/2025

Chandra Mohan S/o Shri Ramkaran Meena, Aged About 31 Years, R/o Village Kheda Jagannathpura Tehsil Kotkhavda Police Station Kotkhavda, District Jaipur, (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Trough Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Babulal Prajapat Mr. Dinesh Pareek
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP with Mr. Anirudh Singh

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

29/01/2026

प्रार्थी／अभियुक्त की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना– कोटखावदा, जिला– जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 266／2024 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी／अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी／अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त हरलाल के आधिपत्य से चोरी की गई परिवादी की कब्जेशुदा मोटर बरामद हो चुकी है। प्रकरण में प्रार्थी／अभियुक्त से अभिरक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी／अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थी／अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय चाहते हैं।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त एफआईआर के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया जाना उचित प्रकट होता है। इस संदर्भ में संबंधित थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह पुलिस थाना– कोटखावदा, जिला– जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 266/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करें।

इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.02.2026 को या उससे पूर्व उपस्थित होवे तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी उपरोक्त संदर्भ में नियमानुसार प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान/पूछताछ करे और न्यायालय के समक्ष आगामी तिथि दिनांक 12.02.2026 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

प्रकरण दिनांक 12.02.2026 को सूचीबद्ध हो। तब तक प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार न किया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 228